दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्याससाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 | Postal Registration No-055/Raigarh DN CG | रायगढ़, बुधवार 26 जुलाई 2023 | पृष्ठ-4, मूल्य 3 रुपए | वर्ष-05, अंक- 298

महत्वपूर्ण एवं खास

लोकसभा के मौजूदा सत्र में चौथे दिन भी नहीं चला प्रश्न काल

नई दिल्ली (आरएनएस)। लोकसभा में विपक्षी सदस्यों ने मणिपुर मुद्दे को लेकर आज भी हंगामा किया जिसके कारण मानसून सत्र में लगातार चौथे दिन प्रश्नकाल बाधित रहा और अध्यक्ष ओम बिरला को हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही अपराह्न दो बजे तक स्थगित करनी पड़ी। बिरला ने जैसे ही प्रश्नकाल आरंभ किया विपक्ष के सदस्य हंगामा करते हुए आसन के सामने आ गये और नारेबाजी करने लगे। अध्यक्ष ने प्रश्नकाल चलाने का प्रयास किया लेकिन विपक्षी सदस्य हंगामा करते रहे। हंगामा बढ़ता देख लोकसभा अध्यक्ष ने सदस्यों से कहा, प्रश्नकाल जैसा महत्वपूर्ण काल आप नहीं चलाने दे रहे हैं। दुनिया के सबसे लोकतंत्र में नारेबाजी कर रहे हैं। हंगामा किसी समस्या का समाधान नहीं होता। आप अपनी सीट पर बैठिए। मैं हर मुद्दे पर आपको बोलने का पर्याप्त समय दूंगा। मेरा आप से आग्रह है कि संसद की गरिमा को बनाए रखें। प्लेकार्ड सदन ने लेकर आना संसदीय परंपरा के अनुकूल नहीं है। मैंने पहले भी आपसे आग्रह किया है। आप सभी वरिष्ठ सदस्य हैं, संसद की गरिमा को बनाए रखें। आप सदा नहीं चलाना चाहते हैं, प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते हैं, गंभीर मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं। बिरला की बात का सदस्यों पर कोई असर नहीं हुआ तो उन्होंने सदन की कार्यवाही अपराह्न दो बजे तक स्थगित कर दी।

स्वतंत्रता दिवस पर 182 बंदियों की होगी सशर्त रिहायी

भोपाल (आरएनएस)। मध्यप्रदेश के गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने आज कहा कि इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदेश के विभिन्न जेलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 182 बंदियों की सशर्त रिहाई की जाएगी। डॉ मिश्रा ने यहां संवाददाताओं से चर्चा में कहा कि ऐसे बंदी जिनकी सजा के विरुद्ध अपील लंबित है, उनको अपील के निराकरण के उपरांत रिहाई की पात्रता होगी। जिन्हें जुर्माना से दण्डित किया गया है, वे यदि जुर्माना राशि 15 अगस्त 2023 तक जमा कर देते हैं, तो उन्हें रिहाई की पात्रता होगी। जिन्हें किसी अन्य प्रकरण में सजा भुगतना शेष है, उन्हें शेष सजा भुगताये जाने के लिए रोका जायेगा। गृह मंत्री ने कहा कि इसके अलावा जिन्हें किसी अन्य प्रकरण में जमानत प्राप्त नहीं हुई है, उन्हें विचाराधीन बंदी के रूप में रोका जायेगा। यदि कोई बंदी अन्य राज्य के प्रकरण में दण्डित किया गया है, तो वह संबंधित राज्य में स्थानान्तरित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त 15 गैर-आजीवन कारावास के बंदियों को सजा में छूट दी जा रही है। उन्होंने कहा कि यहां पर यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि प्रदेश की महिलाओं एवं बच्चियों की सुरक्षा को देखते हुए दुष्कर्म के किसी भी प्रकरण में सजा माफी नहीं दी जा रही है।

छात्रा से रेप व हत्या में दो को फांसी, एक महिला आरोपी को उम्रकैद

पश्चिम मेदिनीपुर/कोलकाता (आरएनएस)। मेदिनीपुर फास्ट कोर्ट ने एक छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार के बाद हत्या के मामले में दो आरोपियों छोटू मुंडा और विकास मुर्मू को मौत की सजा सुनाई है। जबकि एक महिला ताप्ती पात्रा को उम्र कैद की सजा दी है। न्यायाधीश कुसुमिका डे (मित्रा) ने उक्त सजा का निर्देश दिया। इस सजा के ऐलान के बाद पीडिता के परिवार ने राहत की सांस ली है और कहा कि अब उनकी बेटी को न्याय मिलेगा। उन्हें इस फैसले से खुशी है। कोर्ट सूत्रों ने आज बताया कि, 3 मई, 2021 को 21 वर्षीय कॉलेज छात्रा के साथ कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया गया था और उसे फंदे से लटकाकर मार डाला गया था। उस समय इस घटना को लेकर काफी सनसनी फैली थी। बता दें कि मृतक छात्रा के पिता किसान हैं और मां मजदूर। छात्रा की मां ने बताया कि कोरोना के दौरान कॉलेज बंद होने के कारण उनकी बेटी व डेबरा कॉलेज द्वितीय वर्ष की छात्रा घर पर ही ऑनलाइन पढ़ाई करती थी। उसी दौरान यह घटना घटी थी। इस फैसले में मृतका का परिवार खुश है। मृतका की मां ने कहा कि वह अपनी बेटी को वापस तो नहीं पाएंगी, लेकिन उन्हें खुशी है कि दोषियों को सजा मिल गई। सरकारी पक्ष के विशेष लोक अभियोजक देबाशीष मैती ने कहा, "2021 पिंगला पुलिस स्टेशन की घटना में 27 लोगों ने गवाही दी। न्यायाधीश ने दोनों दोषियों की मौत की सजा के अलावा महिला को आजीवन कारावास की सजा का आदेश दिया।

29 जुलाई तक पूरे भारत में भारी बारिश की चेतावनी

नई दिल्ली (आरएनएस)। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने मंगलवार को कहा कि 26 जुलाई तक पश्चिमी तट पर और 25-27 जुलाई के दौरान तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है।

आईएमडी ने 26 से 27 जुलाई के दौरान पूर्वी मध्य भारत में भारी बारिश की भविष्यवाणी की है, जबकि 25 से 27 जुलाई के दौरान उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तरी हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में, और 28 से 30 जुलाई के बीच पूर्वी भारत में भी भारी बारिश होने की उम्मीद है। आईएमडी के अनुसार, 25 से 29 जुलाई तक भारत के विभिन्न क्षेत्रों के लिए मौसम के पूर्वानुमान में हल्की और कहीं-कहीं भारी वर्षा की संभावना है।

मौसम विभाग ने मंगलवार को जारी अपने बुलेटिन में कहा, उत्तर पश्चिम भारत में, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में भारी बारिश होने की उम्मीद है। हिमाचल प्रदेश में भी मंगलवार से शुक्रवार तक बारिश होगी, 26 और 27 जुलाई को अलग-अलग जगहों पर बहुत भारी बारिश की उम्मीद है। पूर्वी राजस्थान में 25 से 27 तारीख तक और पश्चिमी राजस्थान में 25 और 26 जुलाई को बारिश होगी। जम्मू और कश्मीर में 26 और 27 जुलाई को बारिश होगी, वहीं कुछ स्थानों पर भारी बारिश के आसार हैं।

मध्य भारत में भी भारी बारिश होगी। विदर्भ और छत्तीसगढ़ में मंगलवार से शुक्रवार तक बारिश होगी, 26 और 27 जुलाई को अलग-अलग जगहों पर बहुत भारी बारिश होगी। पूर्वी मध्य प्रदेश में 26 से 28 जुलाई तक बारिश होगी, वहीं 27 जुलाई को कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश होगी।

आईएमडी ने आगे भविष्यवाणी की है कि पश्चिम भारत, कोंकण, गोवा जैसे क्षेत्रों और मध्य महाराष्ट्र

के घाट क्षेत्रों में मंगलवार से शनिवार तक व्यापक वर्षा होगी, साथ ही 25 और 26 जुलाई को अलग-अलग स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा होगी।

आईएमडी ने कहा, इस अवधि के दौरान दक्षिण भारत में भी व्यापक वर्षा होगी। तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, रायलसीमा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और केरल और माहे में 27 जुलाई तक बारिश होगी, जबकि तेलंगाना में मंगलवार से शुक्रवार तक बारिश होगी। तटीय और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में 25 और 26 जुलाई को बारिश होगी। इस दौरान कई इलाकों में बहुत भारी बारिश होने की संभावना है।

इसमें आगे कहा गया है कि पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में 29 जुलाई तक और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 28 और 29 जुलाई को काफी व्यापक वर्षा होगी। वहीं अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में 27 और 28 जुलाई को बहुत भारी बारिश होने की संभावना है।

फिर पनप रहा चक्रवाती तूफान, 12 राज्यों में अलर्ट; उत्तराखंड में सड़कों पर पहाड़ों का मलबा- बद्रीनाथ हाईवे बंद

बारिश के चलते काफी देशभर के कई राज्य बाढ़ से प्रभावित हैं। वहीं अब मौसम विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती तूफान की स्थिति बनी हुई, जिसके चलते कुल 12 राज्यों में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा के कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तेलंगाना में अगले तीन दिन लोगों को बेवजह घरों से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई है। उत्तर-भारत में पहाड़ी क्षेत्रों में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिसके कारण दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से अधिक बना हुआ है। गंगा नदी भी इस वक्त उफान पर है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। मुंबई में भारी बारिश के चलते सोमवार को जनजीवन अस्त-व्यस्त रहा। मौसम विभाग ने मंगलवार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती तूफान पनप रहा है। यह पश्चिम मध्य और उससे सटे उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना हुआ है। यह तूफान समुद्र तल से 5.8 से 7.6 किमी ऊपर है, जिसके कारण 24 घंटों में यहां कम दबाव का क्षेत्र बनने का अनुमान है। मौसम विभाग ने इस वजह से तेलंगाना, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात और तटीय कर्नाटक के अलग-अलग हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका जताई है। यहां पर कुल 115.6 मिलीमीटर से 204.4 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक 64.5 मिमी से 115.5 मिमी तक बारिश का अनुमान हिमाचल प्रदेश, राजस्थान के पूर्वी हिस्से, पश्चिम मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मराठवाड़ा, तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय, तेलंगाना, आंतरिक कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी है। इनमें से कुछ हिस्सों में भारी बारिश भी हो सकती है।

आईएएस रानू साहू को 10 दिनों के लिए ज्यूडिशियल रिमांड पर भेजा गया जेल

रायपुर (आरएनएस)। कोयला घोटला में गिरफ्तार आईएएस रानू साहू को कोर्ट ने 10 दिन के लिए ज्यूडिशियल रिमांड पर जेल भेजा गया कोर्ट ने रानू साहू को अब 4 अगस्त को पेश करने का आदेश दिया है।

बता दें कि ईडी ने शुक्रवार को देवेंद्र नगर स्थित रानू साहू के सरकारी आवास पर छापा मारा था। करीब चौबीस घंटे की जांच के बाद ईडी ने शनिवार सुबह उन्हें गिरफ्तार किया और कोर्ट में पेश कर 14 दिन की रिमांड मांगी, लेकिन कोर्ट ने केवल तीन दिन की ही रिमांड मंजूर की थी। रिमांड की अवधि पूरी होने पर मंगलवार दोपहर बाद ईडी ने उन्हें विशेष न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत की कोर्ट में पेश किया। ईडी की तरफ से फिर से रिमांड की मांग

नहीं की गई। इसकी वजह से कोर्ट ने रानू साहू को सीधे जेल दाखिल करने का आदेश दिया। बता दें कि इस मामलें दो आईएएस सहित चार अफसरों व 10 अन्य लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। रानू साहू इस मामले में गिरफ्तार होने वाली दूसरी आईएएस अफसर हैं। उनसे पहले गिरफ्तार किए गए समीर बिश्नोई अभी रायपुर सेंट्रल जेल में बंद हैं।

असम में 45 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त, पुलिस ने भागने की कोशिश कर रहे तस्कर को मारी गोली

गुवाहाटी (आरएनएस)। असम पुलिस ने कछार जिले में 45 करोड़ रुपये की ड्रग्स जब्त की है और तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने बताया कि एक तस्कर को हिरासत से भागने की कोशिश के दौरान गोली मार दी गई।

कछार जिले के एसपी नुमल महत्ता ने कहा, स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) की एक टीम ने बीती रात सिलचर के पास ऑपरेशन चलाया। इस दौरान एक वाहन की जांच में 90 प्लास्टिक की थैलियां बरामद की गईं, जिनमें सफेद पाउडर जैसा पदार्थ था। जिसका वजन लगभग 2.5 किलोग्राम था। उसके हेरोइन होने का संदेह था।

तस्कर कार के बोनट में प्रतिबंधित पदार्थ रखे हुए थे। इसके साथ ही कार से कम से कम 1 लाख याबा टैबलेट भी जब्त की गईं। गिरफ्तार किए गए तीन लोगों की पहचान मनवर हुसैन, सदरउद्दीन और अंसार आलम के रूप में की गई है। यह तीनों जिले के कलैन इलाके के निवासी हैं।

पुलिस के अनुसार, हुसैन पुलिस टीम को उस स्थान पर ले जाने के लिए सहमत हो गया, जहां प्रतिबंधित पदार्थ पहुंचाया जाना था। रास्ते में, उसने पुलिसकर्मियों से पेशाब के लिए रूकने का अनुरोध किया।

इसके बाद उसने अंधेरे का फायदा उठाकर भागने की कोशिश की, उसे रोकने के लिए पुलिस ने दो राउंड फायरिंग की। जिनमें से एक गोली उसके बाएं पैर में लगी और वह घायल हो गया। फिर इलाज के लिए उसे तुरंत नजदीकी अस्पताल लेकर जाया गया, जहां उसका इलाज जारी है।

मणिपुर हिंसा के बीच इंटरनेट सेवा बहाल, मोबाइल इंटरनेट बंद

० सोशल मीडिया पर भी रोक

इंफाल (आरएनएस)। मणिपुर सरकार ने हिंसा के बीच सभी वर्गों के लोगों की मांगों पर विचार करते हुए जातीय हिंसा प्रभावित राज्य में 84 दिनों के बाद इंटरनेट पर प्रतिबंध आंशिक रूप से हटा दिया है। मणिपुर के गृह आयुक्त टी. रंजीत सिंह ने एक आदेश में कहा कि राज्य सरकार ने ब्रॉडबैंड सेवा (इंटरनेट लीज लाइन और फाइबर टू द होम) के मामले में 10 शर्तों को पूरा करने के अधीन सशर्त रूप से उदार तरीके से निलंबन हटाने का विचार किया है, जिसमें यह भी शामिल है कि कनेक्शन केवल स्टेटिक आईपी के माध्यम से होना चाहिए। मोबाइल इंटरनेट पर अभी भी प्रतिबंध है। साथ ही सोशल मीडिया वेबसाइटों तक भी पहुंच नहीं होगी।

आदेश में कहा गया है कि राज्य सरकार ने मोबाइल डेटा सेवा के लिए प्रभावी नियंत्रण और नियामक तंत्र की तैयारी के रूप में मोबाइल इंटरनेट डेटा को निलंबित रखने का फैसला किया है, क्योंकि व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आदि जैसे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से गलत सूचना और झूठी अफवाहें फैलने की अभी भी आशंका है।

इसमें कहा गया है कि टैबलेट, कंप्यूटर, मोबाइल फोन आदि जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करके आंदोलनकारियों और प्रदर्शनकारियों की भीड़ को बढ़ावा देने या संगठित करने के लिए बल्क एसएमएस और अन्य संदेश फैलाए जा सकते हैं, जो आगजनी और बर्बरता और अन्य प्रकार की हिंसक गतिविधियों में शामिल होकर जीवन की हानि या सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिसके लिए नियंत्रण तंत्र अभी भी खराब है।

सिंह ने अपने आदेश में कहा कि राज्य सरकार ने 3 मई से लगातार बिना किसी ब्रेक के इंटरनेट पर प्रतिबंध के मुद्दों की समीक्षा की है (छूट वाले मामलों को छोड़कर) और आम लोगों की पीड़ा पर विचार किया है, क्योंकि इंटरनेट प्रतिबंध ने महत्वपूर्ण कार्यालयों, संस्थानों, घर से काम करने वाले लोगों के समूह, चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्मों, वकीलों, स्वास्थ्य सुविधाओं, ईंधन भरने वाले केंद्रों, बिजली, मोबाइल रिचार्जिंग, एलपीजी के लिए बुकिंग, शैक्षणिक संस्थानों, कराधान-संबंधित कार्यालयों, अन्य ऑनलाइन आधारित नागरिक केंद्रित सेवाओं आदि को प्रभावित किया है।

अदालत के सूत्रों ने शनिवार को कहा, मणिपुर में इंटरनेट सेवाओं के निलंबन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट, मणिपुर उच्च न्यायालय और मणिपुर मानवाधिकार आयोग (एमएचआरसी) में कई मामले दायर किए गए थे। मणिपुर उच्च न्यायालय ने इस महीने की शुरुआत में राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने के बाद राज्य भर में इंटरनेट लीज लाइन (आईएलएल) के माध्यम से इंटरनेट प्रदान करने पर प्रतिबंध हटाने का निर्देश दिया है कि सभी हितधारकों ने पहले गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा दिए गए सुरक्षा उपायों का अनुपालन किया है।

न्यायमूर्ति अहनथेम बिमोल सिंह और न्यायमूर्ति ए. गुणेश्वर शर्मा की खंडपीठ ने 7 जुलाई को एक आदेश में राज्य सरकार को जनता के लिए इंटरनेट सेवाओं तक सीमित पहुंच की सुविधा के लिए राज्य भर में आईएलएल के माध्यम से इंटरनेट प्रदान करने पर प्रतिबंध हटाने और मामले के आधार पर फाइबर टू द होम कनेक्शन (एफटीटीएच) पर विचार करने का निर्देश दिया, बशर्ते विशेषज्ञ समिति द्वारा रिकॉर्ड पर रखे गए सुरक्षा उपायों का अनुपालन किया जाए।

एयर होस्टेस गीतिका शर्मा सुसाइड केस, पूर्व मंत्री गोपाल कांडा और अरुणा चड्ढा बरी

नई दिल्ली (आरएनएस)। एयर होस्टेस गीतिका शर्मा की आत्महत्या मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा और अरुणा चड्ढा को बरी कर दिया है। इस मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुनाया है।

बता दें कि पांच अगस्त 2012 में एमडीएलआर एयरलाइंस की पूर्व निदेशक गीतिका ने अपने अशोक विहार स्थित घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। गीतिका शर्मा ने अपनी मौत के लिए हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल कांडा और एमडीएलआर के मैनेजर अरुणा चड्ढा को जिम्मेदार ठहराया था। इसके बाद अदालत ने दोनों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में आरोप तय किया था। गोपाल कांडा मौजूदा समय में सिरसा से विधायक हैं। गोपाल कांडा की एयरलाइंस कंपनी में गीतिका एयरहोस्टेस थी और उसने 2012 में आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में मंत्री कांडा को मुख्य आरोपी बनाया था।

सुरक्षाबलों की बड़ी कार्यवाई: घुसपैठ की कोशिश कर रहे पाकिस्तानी तस्कर को मार गिराया, दो आतंकी गिरफ्तार

जम्मू (आरएनएस)। जम्मू-कश्मीर के सांबा सेक्टर के रामगढ़ इलाके में आज तडक़े सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के जवानों ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए मादक पदार्थों की तस्करी के प्रयास को विफल करते हुए एक पाकिस्तानी तस्कर को मार गिराया है।

बीएसएफ प्रवक्ता ने मंगलवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि बीती रात सतर्क बीएसएफ जवानों ने एक पाक तस्कर को मार गिराया, जब वह रामगढ़ सीमा क्षेत्र में मादक पदार्थों की तस्करी करने की प्रयास कर रहा था।

उन्होंने बताया कि इलाके की शुरुआती तलाशी के दौरान तस्कर के शव के साथ संदिग्ध नशीले पदार्थ (करीब चार किलोग्राम) के के चार पैकेट मिले। उन्होंने बताया कि इलाके में तलाशी अभियान जारी है। इसी कड़ी में बारामूला जिले में आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े दो आतंकवादी सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि दोनों आतंकवादी सहयोगियों की पहचान दयाम मजीद खान और उबैर तारिक के रूप में हुई है। दोनों को क्रीरी बारामूला में एक विशिष्ट वारंट पर गिरफ्तार किया गया था।

पुलिस प्रवक्ता ने कहा, चक टप्पर क्रीरी में आतंकवादियों की आवाजाही के संबंध में विशेष सूचना पर पुलिस और 29 आरआर के संयुक्त बलों ने बस स्टॉप पर एक एमवीसीपी (मोबाइल वाहन चेक पोस्ट) लगाया। चक टपर से मेन रोड क्रेरी की ओर आ रहे दो संदिग्ध लोगों ने संयुक्त नाका पार्टी को देखकर भागने का प्रयास किया लेकिन सुरक्षाबलों ने चतुराई से उन्हें पकड़ लिया।

ईडी को मद्रास हाईकोर्ट से झटका, सेंथिल बालाजी की हिरासत बढ़ाने से किया इनकार

चेन्नई (आरएनएस)। मद्रास हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को बड़ा झटका देते हुए मंगलवार को तमिलनाडु के मंत्री वी. सेंथिल बालाजी की हिरासत बढ़ाने से इनकार कर दिया।

न्यायमूर्ति जे. निशा बानू और न्यायमूर्ति भरत चक्रवर्ती की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा, आदेश के खिलाफ दायर की गई अपीलें सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित हैं, इसलिए हमें और कुछ कहने की जरूरत नहीं है।

जब मामला पीठ के सामने आया तो न्यायमूर्ति निशा बानू ने कहा कि वह 4 जुलाई के अपने फैसले पर कायम हैं और इस मामले में उनके पास रुकने के लिए कुछ भी नहीं है।

ईडी की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर तुषार मेहता ने कहा कि मामले को केवल हिरासत की तारीख पर फैसला करने के लिए पीठ के पास वापस भेजा गया था। न्यायमूर्ति निशा बानू ने कहा कि वह तारीख तय नहीं कर सकतीं और वह मंत्री को मुक्त करने के अपने फैसले पर कायम हैं।

ईडी द्वारा मंत्री की गिरफ्तारी की वैधता पर मद्रास हाईकोर्ट की खंडपीठ द्वारा एक खंडित फैसला पारित किया गया था। जहां जस्टिस निशा बानू ने ईडी द्वारा गिरफ्तारी को मंजूरी नहीं दी, वहीं जस्टिस भरत चक्रवर्ती ने गिरफ्तारी की पुष्टि की। मामले की आगे की सुनवाई के लिए एक तीसरे न्यायाधीश को नियुक्त किया गया और न्यायमूर्ति सीवी कार्तिकेयन ने न्यायमूर्ति चक्रवर्ती से सहमति व्यक्त की और गिरफ्तारी की वैधता की पुष्टि की।

सेंथिल बालाजी की पत्नी का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील आर इलांगो ने कहा कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष बहस की जा सकती है। खंडपीठ ने यह कहते हुए याचिका बंद कर दी कि मामले में आगे की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा।